



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112025-267394
CG-DL-E-05112025-267394

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 732]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 2025/कार्तिक 13, 1947

No. 732]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2025/KARTIKA 13, 1947

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 818(अ).— केन्द्रीय सरकार, समुद्री क्षेत्र, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) की धारा 7 की उपधारा (4) के खंड (क) के साथ पठित धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य संसाधनों के अन्वेषण, उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः

1. संक्षिप्त नाम, अनुप्रयोग और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी का सतत उपयोग नियम, 2025 है।

(2) ये नियम अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यन और मत्स्यन संबंधित गतिविधियों पर लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "प्रवेश पास" से तात्पर्य इन नियमों के अंतर्गत जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पास है;
- (ख) "अधिनियम" से समुद्री जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) अभिप्रेत है;
- (ग) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से तात्पर्य राज्य के किसी अधिकारी से है, जो सहायक निदेशक के पद से नीचे का न हो तथा जिसे संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो;
- (घ) "प्राधिकृत अधिकारी" से इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ङ) "अपीली प्राधिकारी" का अर्थ है मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद से अन्यून अधिकारी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो;
- (च) "मत्स्य" का अर्थ है फिनफिश, मोलस्क, क्रस्टेशियन और समुद्री स्तनधारियों, सरीसृपों और समुद्री पक्षियों को छोड़कर समुद्री जानवरों और पौधों के सभी अन्य प्रकार;
- (छ) "मत्स्यन" का अर्थ है किसी भी विधि से मत्स्य खोज करना, उसका लक्ष्य रखना, आकर्षित करना, पकड़ना, ग्रहण करना या हार्वेस्टिंग करना;
- (ज) "मत्स्यन संबंधित गतिविधियों" का अर्थ है मत्स्य को उतारना, पैकेजिंग करना, विपणन करना, प्रसंस्करण करना, संरक्षण करना, भंडारण करना, जीवित मत्स्य का ट्रांसपोर्टेशन करना, ट्रांसशिपिंग करना, या पहले बंदरगाह पर नहीं उतारे गए मत्स्य का ट्रांसपोर्टेशन करना;
- (झ) "मत्स्यन पोत" से ऐसा पोत या नाव अभिप्रेत है जो विशेष रूप से लाभ के लिए समुद्र में मत्स्यन में लगा हुआ है;
- (ञ) "जारीकर्ता प्राधिकारी" से अभिप्राय केन्द्रीय सरकार के मत्स्यपालन विभाग में उप निदेशक के पद से अन्यून अधिकारी से है, जिसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यन और मत्स्यन संबंधित गतिविधियों के लिए मत्स्यन पोतों को प्रवेश पास जारी करने के लिए नामित किया गया है;
- (ट) "यंत्रिकृत मत्स्यन पोत" से ऐसा मत्स्यन पोत अभिप्रेत है जिसके पतवार या बोर्ड पर इंजन लगा होता है, जो प्रणोदन और मत्स्यन कार्य जैसे जाल डालना और खींचना या लाइनें चलाना आदि के लिए मशीनी शक्ति का उपयोग करता है;
- (ठ) "मोटर चालित मत्स्यन पोत" से अभिप्राय है, एक इंजन युक्त मत्स्यन पोत, जो अंदर या बाहर लगा हो, जिसका उपयोग केवल प्रणोदन के लिए किया जाता हो, न कि मत्स्यन कार्यों के लिए;
- (ड) "प्रचालक" से तात्पर्य किसी व्यक्ति या उद्यम, या मत्स्य किसान उत्पादक संगठन या मात्स्यिकी सहकारी समितियों (बहु-राज्य सहकारी समितियों सहित) से है, जो मत्स्यन पोत के संचालन या प्रबंधन को नियंत्रित करता है या जिसने इसके संचालन की जिम्मेदारी संभाली है;
- (ढ) मत्स्यन पोत के संबंध में "मालिक" से पोत का मालिक और कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत कोई संगठन या व्यक्तियों का संघ भी है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसके पास पोत या पोत में कोई हिस्सा है और इसमें बंधक, पट्टेदार या पोत का वास्तविक कब्जा रखने वाला अन्य व्यक्ति भी शामिल है;

- (ण) "मत्स्यन पोत का रजिस्ट्रार" से व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 435ड के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;
- (त) "मत्स्यन क्राफ्ट का पंजीकरण और लाइसेंसिंग" या "रियलक्राफ्ट" का अर्थ है केंद्र सरकार द्वारा स्थापित वेब-सक्षम अनुप्रयोग पोर्टल पर मत्स्यन पोत को पंजीकृत करना और प्रवेश पास जारी करना ;
- (थ) "राज्य" से तात्पर्य तटीय रेखा वाली राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से है;
- (द) "सत्यापन अधिकारी" से अभिप्राय राज्य के किसी अधिकारी से है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके परामर्श से दस्तावेजों के सत्यापन तथा प्रवेश पास प्रदान करने के लिए मत्स्यन पोत के भौतिक निरीक्षण के लिए नामित किया गया है।

(2) इसमें प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो परिभाषित नहीं हैं, किन्तु समुद्री जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) और व्यापारिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्दिष्ट हैं।

3. प्रवेश पास – (1) चौबीस मीटर और उससे अधिक लंबाई वाले सभी मोटर चालित मत्स्यन पोत और मशीनीकृत मत्स्यन पोत को अनन्य आर्थिक क्षेत्र में परिचालन के लिए प्रवेश पास प्राप्त होगा।

(2) चौबीस मीटर से कम कुल लंबाई वाले मोटर चालित मत्स्यन पोत के लिए प्रवेश पास की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय उन पोत के जो विशेष रूप से टूना और टूना जैसी प्रजातियों के मछली पकड़ने में लगे हों।

(3) अनन्य आर्थिक क्षेत्र में प्रचालन करने वाले मत्स्यन पोत को समुद्री सुरक्षा आवश्यकताओं, अनुवीक्षण, नियंत्रण और निगरानी तथा संरक्षण और प्रबंधन उपायों का अनुपालन करना होगा।

4. प्रवेश पास जारी करने की प्रक्रिया - (1) पंजीकृत मत्स्यन पोत का मालिक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यन और मत्स्यन संबंधित गतिविधियों के लिए ऐसे पोत का उपयोग करने के लिए प्रवेश पास प्रदान करने के लिए सत्यापन अधिकारी को फॉर्म 1 में रियलक्राफ्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

(2) मर्चेण्ट शिपिंग अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के प्रावधानों के अनुसार मत्स्यन पोत की उपयुक्तता और समुद्री योग्यता के अधीन फॉर्म II में प्रवेश पास जारी किया जाएगा।

(3) संबंधित बंदरगाह का सत्यापन अधिकारी दो सप्ताह के भीतर दस्तावेजों की वैधता और प्रामाणिकता सहित आवेदन का सत्यापन करेगा और इसे जारीकर्ता प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "बंदरगाह" से तात्पर्य केन्द्रीय सरकार या राज्य द्वारा निर्दिष्ट बंदरगाह, मत्स्यन बंदरगाह या मछली उतारने का केंद्र है।

(4) यदि सत्यापन अधिकारी दो सप्ताह के भीतर सत्यापित आवेदन और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो लंबित स्थिति स्वचालित रूप से जारीकर्ता प्राधिकारी को भेज दी जाएगी।

(5) जारीकर्ता प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे, निर्दिष्ट क्षेत्र में मत्स्यन और मत्स्यन संबंधित गतिविधियों के लिए मत्स्यन पोत का उपयोग करने के लिए पांच से दस कार्य दिवसों के अंदर प्रवेश पास प्रदान कर सकेगा या देने से इंकार कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "निर्दिष्ट क्षेत्र" से तात्पर्य जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यन या मत्स्यन संबंधित गतिविधियों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र से है।

(6) जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी या नवीकृत प्रत्येक प्रवेश पास फार्म II में होगा, जिसे आवेदक द्वारा ReALCRaft पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा।

(7) उप-नियम (6) के अधीन जारी प्रवेश पास में मत्स्यन पोत के प्रचालक या मालिक द्वारा अनुपालन किए जाने वाले लागू निबंधन और शर्तों का उल्लेख होगा।

(8) जहां प्रवेश पास के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है, वहां आवेदक को ऐसे अस्वीकार के कारणों से अवगत कराया जाएगा।

(9) मालिक या प्रचालक, जैसा भी मामला हो, यह सुनिश्चित करेगा कि मूल प्रवेश पास, भौतिक या डिजिटल रूप में, मत्स्यन पोत पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाए।

(10) प्रवेश पास अहस्तांतरणीय, गैर-आबंटित होगा तथा पोत-विशिष्ट होगा।

(11) यदि जारीकर्ता प्राधिकारी, इस संबंध में उसे किए गए संदर्भ पर या अन्यथा, इस बात से संतुष्ट है कि प्रवेश पास कपट या आवश्यक तथ्य के बारे में गलत बयानी द्वारा प्राप्त किया गया है, तो वह प्रवेश पास के धारक को कारण बताने का उचित अवसर देने के पश्चात प्रवेश पास को रद्द या निलंबित कर सकता है।

5. प्रवेश पास की वैधता और नवीकरण.- (1) प्रवेश पास जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा।

(2) मत्स्यन पोत का मालिक मौजूदा प्रवेश पास की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले ReALCRaft पोर्टल के माध्यम से नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।

(3) जहां प्रवेश पास के नवीकरण के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है, वहां आवेदक को ऐसे अस्वीकार के कारणों की लिखित में सूचना दी जाएगी।

6. निगरानी, नियंत्रण और निरीक्षण - (1) प्रवेश पास वाला मत्स्यन पोत मछली उतारने के लिए अपने आधार बंदरगाह से चलेगा और वहीं वापस आएगा।

(2) यदि कोई मत्स्यन पोत अपने आधार बंदरगाह के अलावा किसी अन्य बंदरगाह में प्रवेश करने का इरादा रखता है, तो इसकी सूचना मत्स्यन पोत के रजिस्ट्रार, जारीकर्ता प्राधिकारी और प्राधिकृत अधिकारियों को दी जाएगी।

(3) यदि किसी मत्स्यन पोत को किसी अन्य देश के प्राधिकारियों द्वारा जब्त या हिरासत में लिया जाता है, तो पोत का मालिक या संचालक तुरंत इसकी सूचना राज्य मत्स्यपालन विभाग और जारी करने वाले प्राधिकारी को देगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, राज्य मत्स्यपालन विभाग, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में प्रख्यापित पोत संचार और सहायता प्रणाली के लिए मानक प्रचालन प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक कदम उठाएगा।

(4) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

(5) मत्स्यन पोत समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में प्रख्यापित पोत संचार और सहायता प्रणाली के लिए मानक प्रचालन प्रोटोकॉल के अनुसार अपना विवरण राज्य मत्स्यपालन विभाग के निगरानी स्टेशनों को प्रेषित करेगा।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "आधार बंदरगाह" से अभिप्राय प्रवेश पास में दर्शाए गए मत्स्यन पोत के प्रचालन बंदरगाह से है।

7. निरीक्षण और प्रवर्तन.- (1) प्राधिकृत अधिकारी समुद्र में मत्स्यन पोत के अनुवीक्षण, नियंत्रण और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) प्राधिकृत अधिकारी किसी उल्लंघन की रिपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारी, न्यायनिर्णायक अधिकारी और संबंधित मत्स्यन पोत के रजिस्ट्रार को लिखित रूप में, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट तरीके से करेगा।

8. मात्स्यिकी प्रबंधन योजनाएं - (1) केन्द्रीय सरकार, वैज्ञानिक संस्थाओं, तटीय राज्यों, मछुआरों और उनके संघों के परामर्श से, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में सतत मात्स्यिकी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए मात्स्यिकी प्रबंधन

योजनाएं निर्दिष्ट करेगी, जो अधिकतम सतत उपज जैसे प्रबंधन उद्देश्यों के अनुरूप मत्स्य मृत्यु दर या स्टॉक बायोमास स्तर सहित सर्वोत्तम उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी पर आधारित होगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, वैज्ञानिक संस्थाओं, तटीय राज्यों, मछुआरों और उनके संघों के परामर्श से, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्री शैवाल की कृषि सहित समुद्री कृषि के लिए कदम उठाएगी और मत्स्यन के दबाव को कम करने, अतिरिक्त आजीविका सृजित करने और समुद्र से उत्पादन बढ़ाने के उपायों को बढ़ावा देगी।

स्पष्टीकरण.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "समुद्री कृषि" से समुद्री जलीय जीवों की कृषि

अभिप्रेत है, जिसमें मछली, मोलस्क, क्रस्टेशियन और जलीय पौधे शामिल हैं।

(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के अंतर्गत मात्स्यिकी प्रबंधन योजना में निम्नलिखित प्रबंधन कार्य शामिल हो सकते हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे, अर्थात्:-

- (i) स्थानिक और सामयिक मत्स्यन का बंद होना;
- (ii) मत्स्यन गियर प्रतिबंध;
- (iii) पकड़ने के लिए मत्स्य का न्यूनतम कानूनी आकार;
- (iv) मत्स्यन पोत या मात्स्यिकी में भाग लेने वालों की संख्या पर सीमाएं;
- (v) बायकैच न्यूनीकरण उपाय;
- (vi) पारंपरिक और गैर-पारंपरिक समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों जैसे समुद्री स्क्रिड, माइक्रोफिड्स का इष्टतम उपयोग;
- (vii) समुद्री प्रदूषण, परित्यक्त, खोए हुए या त्यागे गए मत्स्यन उपकरण या छोड़े गए उपकरण से निपटने के उपाय;
- (viii) गहरे समुद्र और महासागरीय संसाधनों के लिए सतत मत्स्यन और पोत पर मत्स्य संचालन के लिए कौशल और क्षमता निर्माण;
- (ix) मत्स्यन पोत पर पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान को कम करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाएँ;
- (x) आवश्यक मत्स्य प्राकृतिक वास (ईएफएच) की पहचान और संरक्षण, जिसमें स्पॉनिंग, प्रजनन और फीडिंग ग्राउंड शामिल हैं;
- (xi) समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा घोषित संरक्षण और प्रबंधन उपाय; और
- (xii) मत्स्य भंडार का संरक्षण या पुनर्जीवन उपाय जैसे सी रेंचिंग, कृत्रिम भित्तियों की स्थापना।

(4) अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यन और मत्स्यन संबंधित गतिविधियों में लगे सभी मत्स्यन पोत उप-नियम (1) के तहत जारी मात्स्यिकी प्रबंधन योजनाओं का अनुपालन करेंगे।

(5) केन्द्रीय सरकार गहरे समुद्र में मत्स्यन कौशल और मूल्य-शृंखला दक्षताओं को बढ़ाने के लिए मात्स्यिकी सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों सहित पारंपरिक और लघु-स्तरीय मछुआरों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए कदम उठाएगी।

9. कैच की उत्पत्ति - (1) अनन्य आर्थिक क्षेत्र में प्रचालन करने वाले भारतीय मत्स्यन पोत द्वारा पकड़े गए मत्स्य को भारतीय मूल का माना जाएगा और भारत के क्षेत्र में स्थित किसी पोर्ट पर उतारे जाने पर उस पर कोई आयात शुल्क, उपकर या लेवी लागू नहीं होगी।

(2) किसी भारतीय मत्स्यन पोत द्वारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र में पकड़ी गई और विदेशी बंदरगाह पर उतारी गई मत्स्य को निर्यात के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और वह लागू कानूनों और विनियमों द्वारा नियंत्रित होगी।

(3) संबंधित मत्स्यन पोत का रजिस्ट्रार और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकरण पोत के कप्तान द्वारा विधिवत् प्रमाणित पकड़(कैच) से संबंधित आंकड़ों के सत्यापन के लिए जिम्मेदार होगा और नियम 12 में यथा उपबंधित तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "स्किपर" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास मत्स्यन पोत की कमान या प्रभार है या उसके संचालन की जिम्मेदारी है।

10. कैच और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र.- (1) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और निर्यात निरीक्षण परिषद, लागू राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार, ट्रेसिबिलिटी, स्वच्छता मानकों के अनुपालन और इको-लेबलिंग के प्रयोजनों के लिए मत्स्यन पोत द्वारा पकड़ी गई मत्स्य के लिए क्रमशः कैच सर्टिफिकेट और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं।

(2) कैच सर्टिफिकेट और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए आवेदन संबंधित एजेंसियों के निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे, जिन्हें पोत और कैच से संबंधित जानकारी के सत्यापन और प्रसंस्करण के लिए ReALCRaft पोर्टल के साथ विधिवत् एकीकृत किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "निर्यात निरीक्षण परिषद" से तात्पर्य निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित निर्यात प्रमाणन निकाय अभिप्रेत है;

(ख) "कैच सर्टिफिकेट" से समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण या समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र अभिप्रेत है, जो मत्स्य या मात्स्यिकी उत्पादों की खेप के साथ आपूर्ति श्रृंखला से गुजरने वाली मत्स्य के संबंध में सटीक और सत्यापन योग्य जानकारी प्रदान करने के लिए दिया जाता है;

(ग) "समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण" से समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) के अधीन स्थापित प्राधिकरण से है।

11 मिड-सी ट्रांसशिपमेंट - (1) एक्सेस पास के साथ मत्स्यन पोत के संचालक या मालिक संबंधित क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन संगठन के लागू पैमानों और समय-समय पर प्रख्यापित भारतीय रिजर्व बैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार, मीड सी में मदर वेसल्स के लिए ट्रांसशिपमेंट कर सकता है।

स्पष्टीकरण. - इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, "मदर वेसल्स" से तात्पर्य ऐसे पोत से है, जिसे वाहक पोत, प्राप्तकर्ता पोत या फैक्टरी पोत भी कहा जाता है, जो कैच को प्राप्त करके, भंडारण करके, प्रसंस्करण करके और संरक्षित करके तथा उसे बंदरगाह तक पहुंचाकर समुद्र में मत्स्यन पोत को सहायता प्रदान करता है, तथा ईंधन, खाद्य, पानी, चालक दल की चिकित्सा आवश्यकताओं या अन्य सहायता प्रदान कर सकता है।

(2) प्रचालक या मालिक, जारीकर्ता प्राधिकारी, मत्स्यन पोत के रजिस्ट्रार और इंडियन कोस्ट गार्ड को कम से कम अड़तालीस घंटे पहले सूचित करेंगे, जिसमें फॉर्म III में मदर वेसल्स, पकड़ी गई मत्स्य की मात्रा, प्रजाति और ट्रांसशिपमेंट की तारीख, समय और निर्देशांक का व्यौरा देना होगा।

12. कैच रिपोर्टिंग . - (1) मत्स्यन पोत के रजिस्ट्रार, प्राधिकृत अधिकारी, जारीकर्ता प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारियों को ऐसे प्रारूप में और ऐसे आवधिक अंतरालों पर मत्स्य संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करेगा, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्रकार के मत्स्यन पोत के लिए यात्रा रिपोर्ट का प्रारूप निर्दिष्ट कर सकेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ फिश कैच, मत्स्यों की प्रजातियों, संख्या, वजन, मत्स्यन क्षेत्रों और यात्रा अवधि का विवरण शामिल हो सकता है।

13. मछुआरों और चालक दल की पहचान . - विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यन पोत पर सवार प्रत्येक मछुआरे और चालक दल के सदस्य को समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट QR कोड वाला आधार कार्ड या मरीन फिशरिज डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड साथ रखना होगा।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "मछुआरे" से तात्पर्य ऐसे मछुआरे और मछुआरियों से है जो आजीविका या लाभ के लिए मत्स्यन और मत्स्यन से संबंधित गतिविधियों में लगे हुए हैं, जिनमें मत्स्य श्रमिक भी शामिल हैं।

14. विनाशकारी मत्स्यन, जुवेनाइल मत्स्यन और नो फिशिंग जोन पर प्रतिबंध - केन्द्र सरकार, राज्यों और वैज्ञानिक संस्थानों के परामर्श से, भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (प्रादेशिक जल से परे) में निम्नलिखित गतिविधियों को विनियमित, प्रतिबंधित और निषिद्ध करेगी, अर्थात: -

- (क) डायनामाइट, विस्फोटक, जहर, हानिकारक रसायन, या अन्य विनाशकारी सामग्री या विधियों का उपयोग, जिसमें पेयर ट्रॉलिंग या बुल ट्रॉलिंग शामिल है;
- (ख) ट्रॉलिंग, पर्स-सीनिंग और गिल नेटिंग कार्यों के लिए मेकेनाइज्ड मत्स्यन पोत या मोटोराइज्ड फिशिंग क्रॉफ्ट पर जनरेटर के साथ या उसके बिना सतह या जलमग्न आर्टिफिशियल लाइट्स या एलईडी लाइट्स, फिश लाइट अट्रैक्टर या किसी अन्य प्रकाश उपकरण का उपयोग या स्थापना या संचालन;;
- (ग) जुवेनाइल फिश को पकड़ना या संबंधित गतिविधियाँ;
- (घ) 'नो फिशिंग जोन' या समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे 'निर्दिष्ट क्षेत्रों' में मत्स्यन; और
- (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर लगाए गए प्रतिबंध अवधि के दौरान मत्स्यन।

स्पष्टीकरण. - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "जुवेनाइल मत्स्य" से तात्पर्य मत्स्य की उस प्रजाति से है जो समय-समय पर निर्दिष्ट मात्स्यिकी प्रबंधन योजना(ओं) में निर्दिष्ट वैज्ञानिक रूप से निर्धारित न्यूनतम लीगल साइज से कम है।

15. अवैध, रिपोर्ट न की गई और अनियमित मत्स्यन पर प्रतिबंध - केन्द्र सरकार अवैध, रिपोर्ट न की गई और अनियमित मत्स्यन को रोकने, निवारण और समाप्त करने के लिए एक नेशनल प्लान जारी करेगी, जिसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में परिचालन करने वाले वेसल्स को अनुपालन करना होगा।

16. क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन संगठन और अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों का अनुपालन - मत्स्यन और मत्स्यन से संबंधित गतिविधियां संबंधित क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन संगठनों के प्रासंगिक संरक्षण और प्रबंधन उपाय जिनमें भारत भी शामिल है के अनुपालन में होंगी।

17. न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा की जाने वाली जांच - (1) जहां प्राधिकृत अधिकारी को यह विश्वास हो कि किसी मत्स्यन पोत का उपयोग इन नियमों के किसी उपबंध या एक्सेस पास की किसी शर्त के उल्लंघन में किया जा रहा है या किया गया है, तो वह इसकी रिपोर्ट अधिनिर्णयन अधिकारी को देगा।

(2) इन नियमों के प्रावधानों या एक्सेस पास की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई के लिए उचित समय देने के बाद जांच करेगा।

18. उल्लंघन और दंड.- (1) न्यायनिर्णायक अधिकारी, नियम 17 के उपनियम (2) के अधीन जांच के पश्चात् यह विनिश्चय करेगा कि क्या किसी व्यक्ति ने इन नियमों के किसी उपबंध या एक्सेस पास की किसी शर्त का उल्लंघन करते हुए किसी मत्स्यन पोत का उपयोग किया है, कराया है या करने दिया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा निम्नलिखित जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा:-

- (क). 15 मीटर से कम कुल लम्बाई वाले मोटोराइज्ड और मेकेनाइज्ड मत्स्यन पोत के मामले में, वह पांच हजार रुपए तक के जुर्माने के लिए दायी होगा, तथा बाद में उल्लंघन करने पर पंद्रह हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा।
- (ख). 15 मीटर से अधिक लंबाई और 24 मीटर से कम कुल लंबाई वाले मेकेनाइज्ड मत्स्यन पोत के मामले में, वह दस हजार रुपए तक के जुर्माने के लिए दायी होगा, और बाद में उल्लंघन करने पर, जुर्माना पच्चीस हजार रुपए तक हो सकता है।
- (ग). 24 मीटर या उससे अधिक लम्बाई वाले मेकेनाइज्ड मत्स्यन पोत के मामले में, वह तीस हजार रुपए तक के जुर्माने के लिए दायी होगा, तथा बाद में उल्लंघन करने पर पचास हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन लगाए जा सकने वाले किसी जुर्माने के अतिरिक्त, न्यायनिर्णायक अधिकारी निम्नलिखित को निर्देश दे सकेगा-

- (क) मत्स्यन पोत के एक्सेस पास को छह महीने से अधिक की निर्दिष्ट अवधि के लिए निलंबित कर सकता है; या
- (ख) जैसा भी मामला हो, एक्सेस पास को रद्द या निरस्त कर सकता है।

(3) एक्सेस पास के निलंबन की स्थिति में, ऑपरेटर को तत्काल यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे पोत का मत्स्यन या मत्स्यन से संबंधित गतिविधियां तब तक बंद कर दी जाएं जब तक कि निलंबन लिखित रूप में रद्द न कर दिया जाए।

(4) निलंबित या रद्द किए गए एक्सेस पास का अब उपयोग नहीं किया जाएगा और ऐसे निलंबित या रद्द किए गए एक्सेस पास की स्थिति जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा रीएलसीआरएफटी पर अद्यतन की जाएगी।

(5) इन नियमों के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाए गए आर्थिक दंड राज्य द्वारा भूमि पर देय लोक राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किए जाएंगे, जिसमें संबंधित राज्य के भूमि राजस्व कानूनों के अंतर्गत कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।

19. अपीलें.- (1) नियम 4 या 5 के तहत जारीकर्ता प्राधिकारी के आदेश से या नियम 18 के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अंतुष्ट कोई भी व्यक्ति आदेश की सूचना के तीस दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

(2) अपीलीय प्राधिकारी पक्षकारों को उचित अवसर देने के पश्चात् अपील की सुनवाई करेगा तथा शीघ्रता से अंतिम आदेश जारी करेगा।

(3) अपीलीय प्राधिकारी न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश की स्वप्रेरणा से समीक्षा कर सकता है, जिसके विरुद्ध तीन महीने की अवधि के भीतर कोई अपील दायर नहीं की गई है, ताकि वैधता, औचित्य या प्रक्रियात्मक नियमितता सुनिश्चित की जा सके, बशर्ते कि प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए।

20. न्यायनिर्णायक अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां।- न्यायनिर्णायक अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी, जांच करते समय, मालिक या संचालक या प्राधिकृत अधिकारी से मत्स्यन पोत के दस्तावेज और रिकार्ड प्रस्तुत करने तथा अपराध से संबंधित ऐसे साक्ष्य प्राप्त करने की अपेक्षा करेंगे, जो उचित समझे जाएं।

21. राजस्व का प्रेषण.- इन नियमों के अधीन अर्जित समस्त राजस्व भारत कोष को या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार जमा किए जाएंगे।

[फा. सं. UI/251/10/2025]

अखिनो विमल, संयुक्त सचिव

फॉर्म I

**एक्सेस पास के लिए आवेदन प्रारूप
(नियम 4 (1) देखें)**

1.	1. मालिक /FFPO/SHG/मात्स्यिकी सहकारी/कंपनी का नाम 2. पंजीकरण संख्या।	:	
2	3. मालिक /FFPO/SHG/मात्स्यिकी सहकारी/कंपनी का पता 4. GST नंबर/ CIN (कंपनियों के मामले में) 5. आधार कार्ड नं. 6. पैन कार्ड नं. 7. मोबाइल नं . 8. ईमेल 9. वेबसाइट	:	
3.	10. मत्स्यन पोत का नाम	:	
4.	11. मत्स्यन पोत का पंजीकरण संख्या: 12. पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री: 13. IMO संख्या (जैसा लागू हो) 14. अंतर्राष्ट्रीय कॉल साइन (जैसा लागू हो) 15. MMSI संख्या / AIS संख्या (जैसा लागू हो) 16. ट्रांसपोंडर / वीएमएस नं. 17. चालक दल की क्षमता	:	

	18. प्रस्तावित मत्स्यन या मत्स्यन से संबंधित गतिविधियों का प्रकार : (i) पर्स सीन फिशिंग (ii) लॉग लाइन फिशिंग (iii) गिलनेट कॉम लॉग लाइन फिशिंग (v) गिलनेट फिशिंग (v) पोल और लाइन फिशिंग (vi) हैंडलाइन फिशिंग (vii) ट्रॉलिंग फिशिंग (viii) मिड-वाटर पेलाजिक ट्रॉलिंग (ix) स्क्रिड जिगिंग, (x) अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें		
5.	19. एक्सेस पास अवधि	:	से
	20. (i) बेस पोर्ट, और (ii) मत्स्यन का प्रस्तावित क्षेत्र		
6.	21. मत्स्यन पोत की विशिष्टताएं : -		
	(i) कुल लंबाई	:	
	(ii) चौड़ाई	:	
	(iii) इंजन का HP	:	
	(iv) सकल टन भार	:	
	(v) नेट टन भार	:	
	(vi) मत्स्य पकड़ने की क्षमता	:	
	(vii) इंजन विवरण (viii) ईंधन क्षमता	:	
	(ix) निर्माण वर्ष	:	

घोषणा

हम, मेसर्स [नाम], वचन देते हैं कि हमारा मत्स्यन पोत [वेसल्स का नाम] जो 'एक्सेस पास' के लिए अभिप्रेत है, विनाशकारी मत्स्यन पद्धतियों में शामिल नहीं होगा, जैसे कि पेयर ट्रॉलिंग (बुल ट्रॉलिंग), जुवीनाइल फिशिंग, फिशिंग के लिए आर्टिफिशियल लाइट या एलईडी लाइट का उपयोग, या वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अधिसूचित लुप्तप्राय या संरक्षित प्रजातियों का मत्स्यन। मत्स्यन पोत मत्स्यन के तरीकों के प्रकार का सख्ती से उपयोग करते हुए और भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी के सतत दोहन नियम, 2025 के तहत अनुमत मत्स्यन के क्षेत्रों में काम करेगा और संबंधित क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन संगठन जैसे कि हिंद महासागर टूना आयोग और अन्य ऐसे क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों जिनमें भारत भी शामिल है द्वारा अपनाए गए नियमों और लागू संरक्षण और प्रबंधन उपायों का पालन करेगा। उल्लंघन की स्थिति में सरकार नियमों के अनुसार जुर्माना लगा सकती है तथा एक्सेस पास को निलंबित या रद्द कर सकती है।

मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि प्रदान की गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है।

.....
आवेदक के हस्ताक्षर

.....
दिनांक और स्थान

फॉर्म II

एक्सेस पास का प्रारूप
(नियम 4 (6) देखें)

एक्सेस पास संख्या: [संख्या]

मान्य तिथि: [दिनांक] से: [दिनांक] तक

नया/नवीनीकृत

मत्स्यन पोत और संचालक का विवरण

1. मालिक का नाम :
2. पता और मोबाइल नंबर :
3. मत्स्यन पोत का नाम और पंजीकरण संख्या, अनुमत मत्स्यन के प्रकार :
4. पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री :
5. कुल लंबाई :
6. बेस पोर्ट :
7. मत्स्यन क्षेत्र :
8. कॉल चिह्न

एक्सेस पास के नियम और शर्तें

इस मत्स्यन पोत को भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में, भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी के सतत दोहन नियम, 2025 के तहत, निर्दिष्ट मत्स्यन के प्रकार और क्षेत्र के लिए ही संचालित करने की अनुमति है और इन नियमों के तहत लागू शर्तों का पालन करना है, जिसमें मत्स्यन और मत्स्यन से संबंधित गतिविधियों का विनियमन (नियम 3), मॉनीटोरिंग, नियंत्रण और निगरानी (नियम 4), मात्स्यिकी प्रबंधन योजना (नियम 6), मिड-सी ट्रांसशिपमेंट (नियम 9), कैच रिपोर्टिंग (नियम 10), मछुआरों और चालक दल की पहचान (नियम 11), विनाशकारी मत्स्यन, जुवीनाइल फिशिंग और नो-फिशिंग ज़ोन (नियम 12) का निषेध, अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मत्स्यन का निषेध (नियम 13), क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन संगठन और अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों का अनुपालन (नियम 14), और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित लुप्तप्राय प्रजातियों का मत्स्यन शामिल है।

इन शर्तों या नियमों के प्रावधानों या इन नियमों के तहत जारी आदेशों या निर्देशों का कोई भी उल्लंघन, जिसके परिणामस्वरूप दंड दिया जाएगा, जिसमें एक्सेस पास का निलंबन या रद्दीकरण भी शामिल है।

जारी करने वाला प्राधिकरण

मुहर और हस्ताक्षर
जारी करने की तिथि:
स्थान:

फॉर्म III

मदर वेसल्स का विवरण, कैच की मात्रा, और ट्रांसशिपमेंट के लिए प्रजातियाँ (नियम 11(2) देखें)

- | | |
|--|---|
| 1. मदर वेसल का नाम | : |
| 2. एक्सेस पास सं. | : |
| 3. डोनर वेसल /वेसल्स का नाम | : |
| 4. एक्सेस पास संख्या/सं. | : |
| 5. मदर वेसल के मालिक का नाम एवं पता | : |
| 6. ट्रांसशिपमेंट की प्रस्तावित तिथि और समय | : |
| 7. निर्देशांक (अक्षांश और देशांतर) | : |
| 8. लैंडिंग पोर्ट | : |

कैच का विवरण

प्रजाति का नाम	मात्रा (टन में)	संरक्षण विधि

घोषणा

हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त विवरण सत्य और सटीक हैं और यह ट्रांसशिपमेंट सभी प्रासंगिक नियमों का अनुपालन करता है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश और भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी का सतत दोहन नियम, 2025 शामिल हैं।

डोनर वेसल मालिक के हस्ताक्षर
नाम

मदर वेसल मालिक के हस्ताक्षर
नाम

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th November, 2025

G.S.R. 818(E).— In exercise of the powers conferred by section 15 read with clause (a) of sub-section (4) of section 7 of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976), the Central Government hereby makes the following rules for the exploration, exploitation, conservation, and management of fisheries resources in the exclusive economic zone, namely:

1. Short title, application, and commencement. - (1) These rules may be called the Sustainable Harnessing of Fisheries in the Exclusive Economic Zone Rules, 2025.

(2) These rules shall apply to fishing and fishing-related activities in the exclusive economic zone.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) “access pass” means a pass issued by the Issuing Authority under these rules;
- (b) “Act” means the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976);
- (c) “Adjudicating Officer” means an Officer of the State, not below the rank of Assistant Director, specified by the concerned State Government or Union territory Administration;
- (d) “Authorised Officer” means any officer authorised by the Central Government by notification for the purposes of these rules;
- (e) “Appellate Authority” means an Officer, not below the rank of Joint Secretary in the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, specified by the Central Government;

- (f) “fish” means finfish, molluscs, crustaceans, and all other forms of marine animals and plants excluding marine mammals, reptiles, and seabirds;
- (g) “fishing” means searching for, trailing, pursuing, attracting, catching, taking, or harvesting fish by any method;
- (h) “fishing-related activities” means landing, packaging, marketing, processing, preserving, storing, live transportation of fish, transshipping, or transporting fish not previously landed at a port;
- (i) “fishing vessel” means a ship or boat which is exclusively engaged in sea-fishing for profit;
- (j) “Issuing Authority” means an officer not below the rank of Deputy Director in the Department of Fisheries in the Central Government, designated for issuing access pass to fishing vessels for fishing and fishing related activities in the exclusive economic zone;
- (k) “mechanised fishing vessel” means a fishing vessel with an engine fitted to the hull or on board, which use machine power for propulsion and fishing operation like casting and pulling nets or operating lines;
- (l) “motorised fishing vessel” means a fishing vessel with an engine, fitted inside or outside, used solely for propulsion and not for fishing operations;
- (m) “operator” means an individual or enterprise, or Fish Farmer Producer Organisations or Fisheries Cooperatives (including multi-state cooperatives), controls the operation or management of a fishing vessel or who has assumed the responsibility for its operation;
- (n) “owner” in relation to a fishing vessel means the owner of the vessel or any other person, including an any organisation or association of persons, whether incorporated or not, by whom the fishing vessel or a share in the vessel is owned and includes a mortgage, lessee or other person in actual possession of the fishing vessel;
- (o) “Registrar of the fishing vessel” means the Registrar appointed under section 435E of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);
- (p) “Registration and Licensing of Fishing Craft” or “ReALCRaft” means the web-enabled application portal established by the Central Government for registering fishing vessel and for issuance of access pass;
- (q) “State” means a State Government or a Union territory Administration with a coastal line;
- (r) “Verifying Officer” means an officer of the State designated by the Central Government in consultation with them for verifying documents and for physical inspection of fishing vessel for grant of access pass.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976) and the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

3. Access pass. –(1) All motorised fishing vessel having overall length of twenty-four meters and above and mechanised fishing vessel shall have an access pass to operate in the exclusive economic zone.

(2) No access pass shall be required for motorised fishing vessel having overall length less than twenty-four metres except those exclusively engaged in fishing of tuna and tuna like species.

(3) The fishing vessel operating in the exclusive economic zone shall comply with the sea safety requirements, monitoring, control, and surveillance; and conservation and management measures.

4. Process for issuing access pass. – (1) The owner of a registered fishing vessel may make an application through the ReALCRaft portal in Form I to the Verifying Officer for grant of access pass for using such fishing vessel for fishing and fishing related activities in the exclusive economic zone.

(2) The access pass shall be issued in Form II subject to the fitness and seaworthiness of the fishing vessel as per the provisions of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958).

(3) The Verifying Officer of the concerned port shall verify the application, including the validity and authenticity of documents, within two weeks and forward it to the Issuing Authority.

Explanation. – For the purposes of this sub-rule, “port” means a port, fishing harbour, or fish landing centre designated by the Central Government or State.

(4) If the Verifying Officer fails to submit the verified application and supporting documents within two weeks, the pendency status shall automatically be escalated to the Issuing Authority.

(5) The Issuing Authority may after making such enquiry as he deems fit, either grant or refuse to grant access pass, within five to ten working days, for using the fishing vessel for fishing and fishing related activities in the specified area.

Explanation. – For the purposes of this sub-rule, “specified area” means an area specified for fishing or fishing-related activities in the exclusive economic zone by the Issuing Authority.

(6) Every access pass issued or renewed by the Issuing Authority shall be in Form II, which shall be downloadable by the applicant from the ReALCRaft portal.

(7) The access pass issued under sub-rule (6) shall specify the applicable terms and conditions to be complied with by the operator or owner of the fishing vessel.

(8) Where an application for access pass has been refused, the applicant shall be informed of the reasons for such refusal.

(9) The owner or the operator, as the case may be, shall ensure that the original access pass, in physical or digital form, is prominently displayed on board the fishing vessel and produced upon demand by Authorised Officer.

(10) An access pass shall be non-transferable, non-assignable, and shall be vessel-specific.

(11) If the Issuing Authority is satisfied either on a reference made to him in this behalf or otherwise, that an access pass has been obtained by fraud or misrepresentation as to essential fact, he may after giving the holder of the access pass a reasonable opportunity of showing cause, cancel or suspend the access pass.

5. Validity and renewal of access pass. – (1) An access pass shall remain valid for a period of three years from the date of its issuance.

(2) The owner of the fishing vessel may apply for renewal at least thirty days prior to the expiry of the existing access pass through ReALCRaft portal.

(3) Where an application for renewal of access pass has been refused, the applicant shall be informed of the reasons for such refusal in writing.

6. Monitoring, control, and surveillance. – (1) The fishing vessel with an access pass shall operate from and return to its base port for fish landing.

(2) In the event of a fishing vessel intending to enter any port other than that referred to as its base port, it shall be intimated to the Registrar of the fishing vessel, the Issuing Authority, and the Authorised Officers.

(3) If a fishing vessel is seized or detained by the authorities of any other country, then the vessel owner or operator shall promptly report it to the State Fisheries Department and the Issuing Authority.

(4) On receipt of information under sub-rule (3), the State Fisheries Department shall take necessary steps in accordance with the Standard Operation Protocol for Vessel Communication and Support System promulgated in this regard by the Central Government, from time to time.

(4) The fishing vessel shall comply with requirements prescribed under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and the rules made thereunder.

(5) The fishing vessel shall transmit its details to the designated State Fisheries Department monitoring stations in accordance with the Standard Operation Protocol for Vessel Communication and Support System promulgated in this regard by the Central Government, from time to time.

Explanation. – For the purposes of this rule, “base port” means the port of operation of the fishing vessel indicated in the access pass.

7. Inspection and enforcement. – (1) The Authorised Officer shall be responsible for monitoring, control, and surveillance of a fishing vessel out at sea.

(2) The Authorised Officer shall report any violation in writing to the Issuing Authority, the Adjudicating Officer, and the Registrar of the fishing vessel concerned, in such manner as specified by the Central Government.

8. Fisheries management plans. – (1) The Central Government, in consultation with scientific institutions, coastal States, fishers and their associations shall specify fisheries management plans following ecosystem approach for sustainable fisheries in the exclusive economic zone, which shall be based on the best available scientific information, including fishing mortality or stock biomass levels consistent with management objectives such as Maximum Sustainable Yield.

(2) The Central Government, in consultation with scientific institutions, coastal States, fishers and their associations, shall take steps for mariculture, including seaweed cultivation in the exclusive economic zone and shall promote measures to reduce fishing pressure, create additional livelihoods, and enhance production from the sea.

Explanation. – For the purposes of this sub-rule, “mariculture” means the culture of marine aquatic organisms, including fish, molluscs, crustaceans and aquatic plants.

(3) The fisheries management plan under sub-rule (1) and sub-rule (2) may include, but not be limited to, the following management actions, namely: -

- (i) spatial and temporal fishing closures;
- (ii) fishing gear restrictions;
- (iii) minimum legal size of fish for capture;
- (iv) limits on the number of fishing vessel or participants in a fishery;
- (v) bycatch reduction measures;
- (vi) optimum utilisation of conventional and non-conventional oceanic fisheries resources such as oceanic squids, myctophids;
- (vii) measures to address marine pollution, abandoned, lost, or discarded fishing gear or ghost gear;
- (viii) skilling and capacity building for sustainable fishing for deep-sea and oceanic resources, and onboard fish handling;
- (ix) best practices for reducing post-harvest losses on board the fishing vessel;
- (x) identification and protection of Essential Fish Habitat (EFH), including spawning, breeding, and feeding grounds;
- (xi) conservation and management measures as declared by the Central Government from time to time; and
- (xii) conservation of fish stocks or rejuvenation measures such as sea ranching, installation of artificial reefs.

(4) All fishing vessel engaged in fishing and fishing-related activities in the exclusive economic zone shall comply with the fisheries management plans issued under sub-rule (1).

(5) The Central Government shall take steps to provide training and capacity-building of traditional and small-scale fishers including fisheries cooperatives, Self Help Groups and Fish Farmer Producer Organisations to enhance skills for deep sea fishing and value-chain efficiencies.

9. Origin of catch. – (1) The fish harvested by Indian fishing vessel operating in the exclusive economic zone shall be treated to be of Indian Origin and shall not be subject to any import duty, cess, or levy when landed at a port located within the territory of India.

(2) The fish caught in the exclusive economic zone by an Indian fishing vessel and landed at foreign port shall be classified as exports and shall be governed by applicable laws and regulations.

(3) The Registrar of the fishing vessel concerned and any such other authority as specified by the Central Government shall be responsible for the verification of the catch-related data, duly authenticated by the skipper of the vessel and shall be recorded in the manner as provided in rule 12.

Explanation. – For the purposes of this sub-rule, “skipper” means a person having command or charge of a fishing vessel or responsibility for its operation.

10. Catch and health certificate. – (1) The Marine Products Export Development Authority and the Export Inspection Council may issue catch certificate and health certificate, respectively, to the fish caught by the fishing vessel for the purposes of traceability, compliance with sanitary standards, and eco-labelling, in accordance with applicable national and international regulations.

(2) The applications for catch certificate and health certificate shall be submitted through designated online portals of the respective agencies, which shall be duly integrated with the ReALCRaft portal for verification and processing of vessel and catch-related information.

Explanation. – For the purposes of this rule, –

- (a) “Export Inspection Council” means the export certification body established under section 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);
- (b) “catch certificate” means the certificate issued by the Marine Products Export Development Authority or such other authority as specified by the Central Government from time to time, accompanying a consignment of fish or fishery products to provide accurate and verifiable information concerning fish passing through the supply chain;
- (c) “Marine Products Export Development Authority” means the authority established under the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 (13 of 1972).

11. Mid-sea transshipment. – (1) The operator or owner of fishing vessel with an access pass may undertake mid-sea transshipment to a mother vessel in accordance with the applicable measures of the Regional Fisheries Management Organisation concerned and the relevant guidelines of the Reserve Bank of India as promulgated from time to time.

Explanation. – For the purposes of this sub-rule, “mother vessel” means a vessel, also termed as a carrier vessel, receiver vessel, or factory vessel, that supports fishing vessel at sea by receiving, storing, processing, and preserving catch, and transporting it to port, and may provide fuel, food, water, medical needs of crew, or other assistance.

(2) The operator or owner shall intimate the Issuing Authority, the Registrar of the fishing vessel and the Indian Coast Guard at least forty-eight hours in advance, providing details of the mother vessel, quantity of catch, species, and transshipment date, time, and coordinates, in Form III.

12. Catch reporting. – (1) The fishing vessel shall furnish such fishery data to the Registrar of the fishing vessels, Authorised Officer, Issuing Authority, or other authorities in such format and at such periodical intervals as may be specified by the Central Government.

(2) The Central Government may specify the format for voyage reports for different types of fishing vessel, which may, *inter alia*, include the details of fish catch, fish species, numbers, weight, fishing areas, and trip duration.

13. Fishers and crew identity. – Every fisher and crew member on board a fishing vessel in the exclusive economic zone shall carry a QR-coded Aadhaar card or a Marine Fishers Digital Identity Card, as specified by the Central Government, from time to time.

Explanation. – For the purposes of this rule, “fisher” means fishermen and fisherwomen engaged in fishing and fishing-related activities for livelihood or profit, includes fish workers.

14. Prohibition of destructive fishing, juvenile fishing, and no-fishing zones. – The Central Government, in consultation with the States and Scientific Institutions, shall regulate, restrict, and prohibit in the exclusive economic zone of India (beyond territorial waters), the following activities, namely: -

- (a) use of dynamite, explosives, poisons, noxious chemicals, or other destructive materials or methods, including pair trawling or bull trawling;
- (b) use or installation or operation of surface or submerged artificial lights or LED lights, fish light attractors or any other light equipment with or without generator on mechanised fishing vessel or motorised fishing craft for trawling, purse-seining, and gill netting operations;
- (c) capture of juvenile fish or related activities;
- (d) fishing in ‘No Fishing Zones’ or such ‘designated areas’ as notified by the Central Government from time to time; and
- (e) fishing during the ban period imposed by the Central Government from time to time.

Explanation. – For the purposes of this rule, “juvenile fish” means a species of fish that is below the scientifically determined minimum legal size as specified in the Fisheries Management Plan(s) specified from time to time.

15. Prohibition of illegal, unreported, and unregulated fishing. – The Central Government shall issue a National Plan of Action to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported, and unregulated fishing, which the vessels operating in the exclusive economic zone shall comply with.

16. Compliance with Regional Fisheries Management Organisation and International Instruments. – The fishing and fishing-related activities shall be in compliance with relevant conservation and management measures of the concerned Regional Fisheries Management Organisations to which India is a party.

17. Enquiry to be made by Adjudicating Officer. –(1) Where an Authorised Officer has reason to believe that any fishing vessel is being, or has been, used in contravention of any of the provisions of these rules or any of the conditions of the access pass, he shall make a report thereof to the Adjudicating Officer.

(2) On receipt of a report from the Authorised Officer regarding contraventions of the provisions of these rules or conditions of the access pass, the Adjudicating Officer shall hold an enquiry after giving all the parties concerned a reasonable period of being heard.

18. Violations and penalties. – (1) The Adjudicating Officer shall, after enquiry under sub-rule (2) of rule 17, decide whether any person has used or caused or allowed to be used any fishing vessel in contravention of any of the provisions of these rules or any of the conditions of the access pass, he may by order in writing, impose such penalty, as follows:–

- (a) In the case of motorised and mechanised fishing vessel of less than 15 metres of overall length, he shall be liable to a penalty not exceeding five thousand rupees, and for subsequent contravention, a penalty which may extend to fifteen thousand rupees.
- (b) In the case of mechanised fishing vessel of more than 15 metres of length and less than 24 metres of overall length, he shall be liable to a penalty not exceeding ten thousand rupees, and for subsequent contravention, a penalty which may extend to twenty-five thousand rupees.
- (c) In the case of mechanised fishing vessel of 24 metres and above of overall length, he shall be liable to a penalty not exceeding thirty thousand rupees, and for subsequent contravention, a penalty which may extend to fifty thousand rupees.

(2) In addition to any penalty that may be imposed under sub-rule (1), the Adjudicating Officer may direct to–

- (a) suspend the access pass of the fishing vessel for a specified period not exceeding six months; or
- (b) cancel or revoke the access pass, as the case may be.

(3) In case of suspension of an access pass, the operator shall immediately ensure that fishing or fishing-related activities of such vessel is stopped until the suspension is revoked in writing.

(4) The suspended or cancelled access pass shall no longer be used and the status of such suspended or cancelled access pass shall be updated on ReALCRaft by the Issuing Authority.

(5) The pecuniary penalties imposed by the Adjudicating Officer under these rules shall be recovered by the State as arrears of public revenue due on land, with the exercise of powers of the Collector and District Magistrate under the land revenue laws of the respective State.

19. Appeals. –(1) Any person aggrieved by an order of the Issuing Authority under rules 4 or 5 or against any order passed by the Adjudicating Officer under rule 18, may appeal to the Appellate Authority within thirty days of the communication of the order.

(2) The Appellate Authority shall, hear the appeal after giving a reasonable opportunity to the parties, issue a final order expeditiously.

(3) The Appellate Authority may *suo motu* review the order passed by the Adjudicating Officer, against which no appeal has been filed within the period of three months, to ensure legality, propriety, or procedural regularity, provided no prejudicial order is passed without giving the affected person a reasonable opportunity to be heard.

20. Powers of Adjudicating Officer and Appellate Authority. –The Adjudicating Officer and Appellate Authority, while holding the inquiries, shall require the owner or operator or the Authorised Officer, to produce the documents and records of the fishing vessel, and obtain any such evidence related to the offences as deemed fit.

21. Remittance of revenue. - All revenue earned under these rules shall be remitted to *Bharat Kosh* or as may be specified by the Central Government.

[F. No. UI/251/10/2025]

ACQUINO VIMAL, Jt. Secy.

Form I

Application Format for access pass

(See rule 4 (1))

1.	1. Name of the owner /FFPO/SHG/Fisheries Cooperative/Company 2. Registration No.	:	
2.	3. Address of the owner /FFPO/SHG/Fisheries Cooperative/Company 4. GST No./CIN (in case of companies) 5. Aadhaar Card No. 6. PAN Card No. 7. Mobile No. 8. Email 9. Website	:	
3.	10. Name of the fishing vessel	:	
4.	11. Registration No. of Fishing Vessel: 12. Port of Registry: 13. IMO No. (as applicable) 14. International Call Sign (as applicable) 15. MMSI No. / AIS No. (as applicable) 16. Transponder / VMS No. 17. Crew Capacity 18. Type of fishing or fishing-related activities proposed: (i) Purse Seine fishing (ii) Long Line fishing (iii) Gillnet cum Longline fishing (v) Gillnet fishing (vi) Pole and line fishing (vi) Handline fishing (vii) Trolling fishing (viii) Mid-water pelagic trawling (ix) Squid jigging, (x) Others please specify	:	
5.	19. Access pass duration	:	From To
	20. (i) Base port, and (ii) Proposed area of fishing		
6.	21. Specifications of fishing vessel: -		
	(i) Overall length	:	
	(ii) Breadth	:	
	(iii) HP of the engine	:	
	(iv) Gross tonnage	:	
	(v) Net tonnage	:	
	(vi) Fish hold capacity	:	
	(vii) Engine details (viii) Fuel capacity	:	
	(ix) Year of built	:	

Declaration

We, M/s [Name], undertake that our fishing vessel [vessel Name] intended for 'access pass' shall not engage in destructive fishing practices, such as pair trawling (bull trawling), juvenile fishing, use of artificial light or LED light for fishing, or fishing of endangered or protected species as notified under the Wildlife (Protection) Act, 1972. The fishing vessel shall operate strictly using the type of fishing methods and in areas of fishing permitted under the Sustainable Harnessing of Fisheries in the Exclusive Economic Zone of India Rules, 2025 and shall comply with the rules and applicable conservation and management measures adopted by the concerned Regional Fisheries Management Organisation such as Indian Ocean Tuna Commission and other such regional or international instruments to which India is party. In case of violation, the Government may impose penalties as per the rules and suspend or cancel the access pass.

I confirm that the information provided is true and correct to the best of my knowledge.

.....

Signature of the Applicant

.....

Date and Place

Form II

Format for access pass*(See rule 4 (6))***Access pass No.: [Number]****Valid from: [Date] To: [Date]****Fresh/Renewed**

Fishing vessel and operator details

1. Name of the owner :
2. Address and mobile No :
3. Name and registration No. of the fishing vessel, type of fishing permitted :
4. Port of registry :
5. Overall length :
6. Base port :
7. Area of fishing :
8. Call sign

Terms and conditions of access pass

This fishing vessel is permitted to operate solely for the type of fishing and area specified, within the exclusive economic zone of India, under the Sustainable Harnessing of Fisheries in the Exclusive Economic Zone of India Rules, 2025 and to follow the stipulations applicable under these Rules including regulation of Fishing and Fishing-related Activities (rule 3), Monitoring, Control, and Surveillance (rule 4), Fisheries Management Plans (rule 6), Mid-Sea Transshipment (rule 9), Catch Reporting (rule 10), Fishers and Crew Identity (rule 11), Prohibition of Destructive Fishing, Juvenile Fishing, and No-Fishing Zones (rule 12), Prohibition of Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (rule 13), Compliance with Regional Fisheries Management Organisation and International Instruments (rule 14), and Fishing of endangered species as notified under the Wildlife (Protection) Act, 1972.

Any violation of these conditions or the provisions of the rules or orders or instructions issued under these rules, which shall result in penalties, including suspension or cancellation of the access pass.

Issuing Authority

Seal and Signature

Date of Issue:

Place:

Form III

Details of mother vessel, quantum of catch, and species for transhipment*(See rule 11 (2))*

1. Name of the mother vessel :
2. Access pass No. :
3. Name of the donor vessel/s :
4. Access pass No/s. :
5. Name and contact of the owner of the mother vessel :
6. Proposed date and time of transhipment :
7. Coordinates (Latitude and Longitude) :
8. Port of landing :

Details of catch

Name of species	Quantity (in Tonnes)	Preservation method

Declaration

We declare that the above details are true and accurate and that the transhipment complies with all relevant rules, including the Reserve Bank of India Guidelines and the Sustainable Harnessing of Fisheries in the Exclusive Economic Zone of India Rules, 2025.

Signature of the Donor Vessel Owner
Name

Signature of the Mother Vessel Owner
Name